

MP Online 2019-20
संकेत छात्रानों के
रिकॉर्ड

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा
वल्लभ भवन मंत्रालय-462004

21.2.19
११/०६/१९



आदेश ::

भोपाल दिनांक १०/०६/१९

क्रमांक : ३०८ /सीसी/2019/अडीस :: मानवीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन द्वारा सत्र 2019-20 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी द्वारा जारी किये गये हैं।

राज्य शासन के निर्णय दिया है कि प्रवेश नियम-कंडिका 2.1 पैरा-चार में निर्धारित एवं पूर्व में अनुमोदित एम पी ऑनलाइन (ऑन लाइन प्रवेश एजेन्सी) द्वारा विद्यार्थियों से लिए जाने वाले पोर्टल शुल्क ₹ 50/- प्रति विद्यार्थी में संशोधन करते हुए समस्त छात्राओं हेतु सभी चरणों में पोर्टल शुल्क निःशुल्क किया जाता है। यह पोर्टल शुल्क सभी छात्रों हेतु दर्थावत ₹ 50/- रुपये रहेगा। एम पी ऑनलाइन को छात्राओं के संपूर्ण पोर्टल शुल्क एवं छात्रों के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा पंजीयन शुल्क के माध्यम से की जाएगी।

(जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव

ग.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक १०/०६/१९

पृ.क्रमांक : ३०९/सीसी/2019/
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मानवीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल म.प्र.
 2. निज सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.
 3. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, ग.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
 4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल म.प्र।
 6. कुल सचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इंदौर/ग्यालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन एवं छतरपुर म.प्र।
 7. कुल सचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र।
 8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र।
 9. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर भोपाल म.प्र. की कार्यवाही हेतु।
 10. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय म.प्र।
 11. प्रभारी आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

ATTESTED

(Jyotsna)
अपर सचिव
ग.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
GOVT. COLLEGE, RAU
INDORE (M.P.)



H.C.
T.O.A.
R.S. Singh + A.
11.06.19
B.L. 11.06.19

उच्च शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश शासन



प्रवेश नियम
एवं
मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र : 2019–2020

ATTESTED
[Signature]
PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAU
INDORE (M.P.)

DR D. C. RATHI

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा

वल्लभ भवन मंत्रालय-462004



::आदेश::

भोपाल, दिनांक: २५ मई 2019

क्रमांक: ३४५/१६/सीसी/2019/अड्डीस : माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन सत्र 2019-20 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में रनातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत। अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

(संलग्न-उपरोक्तानुसार)

(जयश्री गिरा)

अपर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक: ३४६/सीसी/2019/१६

भोपाल, दिनांक २५ मई, 2019

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल, म.प्र।
2. निज सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन एवं छतरपुर म.प्र।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र।
9. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. की कार्यवाही हेतु।
10. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
..... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

(Anil Kumar)
अपर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

ATTESTED

(Signature)
PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAU

(Signature)
Dr. Rathi Sir
10/05/19
Online letter 2019-20

मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त (सत्र 2019-2020)

1. प्रयुक्ति :-

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहप्रियता करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे। समस्त महाविद्यालयों में गरिमा पूर्ण प्रवेश उत्सव अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जायेगा जिसमें कि प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शन व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

2. प्रवेश प्रक्रिया :-

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2019-20 हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यतः कराना होगा। इस प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल (<https://epravesh.mponline.gov.in>) पर उपलब्ध रहेगी।

(6) 2.1
प्रवेश

कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। इन विद्यार्थियों को अतिम चरण में स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। विद्यार्थी को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे।

इस प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी एवं प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी पृथक से दी जावेगी। आवेदक अधिकतम 09 (नौ) महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन पंजीयन के समय करते हुये च्याइस फिलिंग कर सकेगा।

पंजीयन शुल्क का भुगतान समय सारिणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगा:-


- प्रथम चरण में पंजीयन हेतु रु. 100/- (समस्त छात्राओं को नि.शुल्क)
- द्वितीय चरण में पंजीयन हेतु रु. 250/- (विलंब शुल्क सहित) सप्ताह
- सीएलसी चरण में पंजीयन हेतु रु. 500/- (विलंब शुल्क सहित) सप्ताह

नोट :-उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालयीन पत्र क्र. 40/17/आजरि/आई.टी./19, दिनांक

7.3.2019 के तहत निर्धारित, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा पोर्टल शुल्क रु. 50/-भी देय होगा।

आवेदक के दस्तावेज का सत्यापन कार्य ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित सहायता केन्द्रों जो कि समस्त शासकीय महाविद्यालय हैं, के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात कोई भी आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकेगा। द्वितीय एवं अतिम चरण में पंजीयन कराने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विचार किया जावेगा। विद्यार्थी पंजीयन रसीद के प्राप्त होने पर सभी निर्देशों को पढ़े एवं पालन कर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

ATTESTED


PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAII
INDORE (M.P.)

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

- 10.4** संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माइग्रूल में उच्च शिक्षा विभाग ह्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा। सभी महाविद्यालयों को शासन एवं महाविद्यालय से आवश्यक अनुमति निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाईल दर्ज कर मैटिंग महाविद्यालय से आनलाइन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से आनलाइन पुर्नसत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

11. प्रवेश हेतु प्राधिक्रिया :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में सी.एल.सी.चरण में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

- 12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा—**

अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी—लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

- 12.3** स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निश्चक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आक्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा।

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपांग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित—परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, दीर्घ चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मैडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल, वीरता हेतु पुलिस मैडल
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

- 12.4** दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जायेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अहतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

- 12.5** एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

- 12.6** सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

ATTESTED


PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, RAII
INDORE (M.P.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL SHASKIYA MAHAVIDYALAYA, RAU
DIST. INDORE - 453331, MADHYA PRADESH
Phone No. : 0731-2857070, 2857066
E-Mail Add.: - principalrau@yahoo.com; hegcrauind@mp.gov.in

Government order for reservation policy

As per the Government order for reservation policy in admission by Higher Education the percentage of reserved seats for reserved category are as follows:-

SC	-	16%
ST	-	20%
OBC	-	14%

ATTESTED


Principal
Govt. College Rau
Indore (M.P.)

}